<u>मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक.43 दिनांक. 7/5/2012</u>

गत सभा दिनांक ----- के कार्यवृत की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौसिंल
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.................... दिनांक.............................

प्रतिलिपिः-

1- आयुक्त
2- रेसीडेन्ट आडिट
3- सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमांक 41

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 44 दिनांक 07–05–2012

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 128 /श.ग.उ.प्र./11–12 इन्दौर, दिनांक 16–04–12 पर महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 20 दिनांक 27–04–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की झोनल अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र कुल 08 पात्र आवेदकों की सूची से मेयर–इन–कौंसिल अवगत हुई।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 169–71 दिनांक 15.05.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 42

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 45 दिनांक 07–05–2012

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत सर्वधर्म सामुहिक विवाह सम्मेलन में ग्रहस्थी बसाने की देय सामग्री के प्राप्त दरों का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 198/श.ग.उ. प्र/10–11 दिनांक 23–04–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश तथा अन्त्योद्य समिति की अनुशंसा के क्रम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत सर्वधर्म सामुहिक विवाह सम्मेलन के लिए चिन्हित देय सामग्री की निविदा में प्राप्त दरों (विभागीय संक्षेपिका में उल्लेखित अनुलग्न सूची) का अनुमोदन किया जाता है।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 172–74 दिनांक 15.05.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 44

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 47 दिनांक 07–05–2012</u>

आर्थिक सहायता का आवेदन

पंजीयन क्रमांक 45

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 48 दिनांक 07–05–2012

पुर्नवास नियोजन समिति में कम्प्युटर ऑपरेटर की 29–29 दिवस पर अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त के पत्र दिनांक 07–05–12 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 168 दिनांक 24–08–11 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 168 दिनांक 24–08–11 के तारतम्य में श्री जितेन्द्र पिता औंकारसिंह परिहार की पुर्नवास नियोजन समिति में कम्प्युटर ऑपरेटर के कार्य हेतु आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 16–03–2012 से 31 अगस्त 2012 तक की अवधि वृद्धि कर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 251–53 दिनांक 22.5.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 46

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 49 दिनांक 07–05–2012</u>

जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत शहरी गरीबी हेतु निर्मित होने वाली आवासीय इकाईयों के गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुपरविजन हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक/जेएन–1867 एवं 1868/एनयूआरएम/2011 दिनांक 07–01–12 पर प्रभारी, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 30 एवं 31 दिनांक 02–03–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत शहरी गरीबी हेतु निर्मित होने वाली आवासीय इकाईयों के गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुपरविजन हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति हेतु प्राप्त निविदाओं में तालिका 3 व 4 अनुसार तकनीकी रूप से सफल व पात्रतानुसार निविदा आमंत्रण की शर्तों के अन्तर्गत अधिक अर्हता (योग्यता) एवं संयुक्त मूल्यांकन में सफल निविदाकार के रूप में प्रथम रैकिंग प्राप्त मेसर्स ऐ.के.ऐ. कन्सलटेंट प्रा.लि. इन्दौर की निविदा न्यूनतम दर 1.10 प्रतिशत पर सहमति शर्त पर स्वीकृत की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 243–46 दिनांक 22.5.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 47

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 50 दिनांक 07–05–2012</u>

रेल्वे लाईन के नीचे से सीवर लाईन बिछाई जाने के कार्य हेतु सुपरविजन कार्य के लिये कंसलटेंट फर्म नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक जेएन–2217/एनयूआरएम/2012 दिनांक 05–03–12 पर प्रभारी, जलकार्य समिति की राय क्रमांक 83 दिनांक 09–03–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत इन्दौर सीवरेज परियोजना के वेस्ट झोन की प्रायमरी लाईन को रेल्वे लाईन के चार स्थानों के नीचे से बिछाई जाने हेतु रेल्वे की नामिनित एजेन्सी मेसर्स राईट्स लिमि., नई दिल्ली को प्रति क्रॉसिंग राशि रूपये 9.50 लाख के मान से 4 स्थानों की कुल राशि रूपये 38.00 लाख पर सुपरविजन/कंसलटेंट की स्वीकृति दी जाती है। कार्य की समय–सीमा 6 माह एवं आफर की वैधता 60 दिवस होगी।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2059–62 दिनांक 18.05.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 48

मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 51 दिनांक 07–05–2012

राजस्व वसूली प्रचार–प्रसार करने के संबंध में आयुक्त की टीप दिनांक 19–3–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वित्तीय 2011–12 के अत्यन्त शेष अवधि में राजस्व वसूली को ध्यान में रखत हुए तथा दिनांक 31 मार्च 2012 तक अधिक से अधिक करदाताओं को जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत प्रचार–प्रसार करने हेतु अनुमानित राशि रूपये 13.00 लाख की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 253–56 दिनांक 22.5.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 49

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 52 दिनांक 07–05–2012</u>

राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत झोनल अधिकारियों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची सूचनार्थ/अवलोकनार्थ के संबंध में उपायुक्त शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक 112/श.ग.उ.प्र./12–13 इन्दौर, दिनांक 13–04–2012 पर प्रभारी महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय दिनांक 16–04–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त सदर प्रकरण से मेयर–इन–कौंसिल अवगत हुई।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 247–50 दिनांक 22.05.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त संलग्न 13 फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 50

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 53 दिनांक 07–05–2012

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 155 को नर्मदा जलप्रदाय हेतु 200 एम. एम. व्यास की डी.आई. पाइप लाइन बिछाने हेतु सामग्री क्रय की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 05–05–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रूपये 17,79,065/– (कर अतिरिक्त) की सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम से क्रय करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि, पी. एच.ई./वर्क्स विभाग मेन्युअल, शासन के प्रचलित निर्देश/परिपत्र में सामग्री लघु उद्योग निगम से क्रय करने की बाध्यता संबंधी प्रावधान हो अन्यथा निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय की जावे। कार्य में होने वाला व्यय डिपॉजिट मद में से होगा।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने कें प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 240–42 दिनांक22.05.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 51

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 54 दिनांक 07–05–2012</u>

इन्दौर रेल्वे स्टेशन को जलप्रदाय हेतु कार्य में लगने वाली सामग्री क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 2465, दिनांक 04–05–2012 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रूपये 76,88,688/– (कर अतिरिक्त) की सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम से क्रय करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि, पी. एच.ई./वर्क्स विभाग मेन्युअल, शासन के प्रचलित निर्देश/परिपत्र में सामग्री लघु उद्योग निगम से क्रय करने की बाध्यता संबंधी प्रावधान हो अन्यथा निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय की जावे। कार्य में होने वाला व्यय डिपॉजिट मद में से होगा।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने कें प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 237–39 दिनांक 22.5.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 70

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 55 दिनांक 7–05–2012</u>

निगम में कार्यरत मस्टर कर्मचारियों को भविष्य निधि सुविधा का लाभ दिये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 5491 दिनांक 12–12–11 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति राय क्रमांक 2363 दिनांक 19–01–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नगर पालिक निगम, इन्दौर में कार्यरत मस्टर (दै.वे.भौ.) कर्मचारियों के पारिश्रमिक/वेतन से 12 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि अंशदान काटे जाने तथा निगम का अंशदान राशि रूपये 13.61 प्रतिशत की दर से सम्मिलित करते हुए मस्टर कर्मचारी भविष्य निधि कोष में 01 जनवरी 2011 से जमा करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 325–27
दिनांक 4.06.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 69

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 56 दिनांक 7–05–2012

विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित योजना एवं वर्तमान स्थिति का सर्वे करने हेतु (वार्षिक दर) निर्धारण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2920 दिनांक 03–03–12 पर प्रभारी, जलकार्य समिति की राय क्रमांक 84 दिनांक 14–03–12 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 378 दिनांक 06–01–2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर में विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित योजना के लिए वर्तमान स्थिति का सर्वे प्रस्तावित है। सिटी रोड प्रस्तावित एवं वर्तमान ड्रेनेज एवं पानी की लाईन, डी. पी. आर. बनाने गंदी बस्ती, अवैध कालोनी के नियमितीकरण आदि के सर्वे कार्य हेतु दिनांक 18–11–2011 को प्राप्त 3 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसानुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म फ्रेन्ड्स एसोसिएट्स, इन्दौर की निम्नांकित न्यूनतम दर पर कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है।

अनुक्र.	कार्य का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर
अ	नगर निगम सीमा में आने वाले .... सर्वे का कार्य	रु. 0.45 प्रतिवर्ग मीटर
ब	नगर निगम सीमा में आने वाले चौराहे .... का सर्वे कार्य	रु. 0.48 प्रतिवर्ग मीटर
स	नगर निगम सीमा में आने वाली .... सड़कों का सर्वे कार्य	
	1) 10 मीटर चौड़ाई	रु. 10000/–प्रति कि.मी.
	2) 10 से 30 मीटर	रु. 12500/–प्रति कि.मी.
	3) 30 मीटर चौड़ाई	रु. 15000/–प्रति कि.मी.
द	नगर निगम सीमा में आने वाली .... सर्वे का कार्य	
	1) 10 मीटर चौड़ाई	रु. 12000/–प्रति कि.मी.
	2) 10 से 30 मीटर	रु. 15250/–प्रति कि.मी.
	3) 30 मीटर अधिक	रु. 17000/–प्रति कि.मी.
इ	नगर निगम सीमा में वार्ड परिसीमन हेतु	रुपये 3000/– प्रति वार्ड

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 328–30 दिनांक 4.06.2012

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 71

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 57 दिनांक 7–05–2012</u>

जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत शहरी गरीबों हेतु निर्मित होने वाली आवासीय इकाईयों के गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुपरविजन हेतु नियुक्त कंसलटेंट मेसर्स एकेए कंसलटेंट (ई) प्रा. लि. को किये गये कार्यों हेतु भुगतान के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1868 एनयूआरएम/2011 दिनांक 07–01–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत शहरी गरीबों हेतु निर्मित होने वाली आवासीय इकाईयों के गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुपरविजन हेतु नियुक्त कंसलटेंट मेसर्स एकेए कंसलटेंट (ई) प्रा. लि. के द्वारा दिनांक 07–01–2011 से दिनांक 28–04–2011 के मध्य किये गये कार्य की भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। कार्य प्रमाणीकरण उपरान्त ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 308 दिनांक 4.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 72

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 58 दिनांक 7–05–2012

झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 42 के अन्तर्गत जल्ला कालोनी की गलियों का जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 117/सी.ई/(वि./या.)/11–12 दिनांक 31–01–12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 11 दिनांक 21–02–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 16,23,200/– की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 15 प्रतिशत राशि रु. 2,43,480/– प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 331–33
दिनांक 4.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त सं–1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रंमाक 90

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 59 दिनांक 7–05–2012

झोन कमांक 13 वार्ड कमांक 58 धनवंतरी नगर मे सांसद निधी से नाला निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र कमांक 119/सी.ई./बिल्स/11–12 दिनांक 31–01–12 पर प्रभारी आवास पर्यावरण एवं विकास विभाग की राय क्र. 18 दिनांक 21–02–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में अनुमान पत्रक राशि रूपये 10,00,000/– पर दिनांक 25–11–11 को प्राप्त 02 निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स संदिप शर्मा द्वारा प्रस्तुत दर 15.00 प्रतिशत अधिक (डच्न्|क्क त्वंक – ठतपकहम वता एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.11) की राशि रूपये 1,50,000/– सहित कुल आकार राशि रूपये 11,50,000/–के कार्य की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय सांसद निधि बजट मद से किया जावें।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुण्वत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 383–84 दिनांक 22.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त स.1फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन कंमाक

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 60 दिनांक 7–05–2012</u>

नर्मदा जल प्रदाय परियोजना के मण्डलेश्वर स्थित पम्प गृह क्रमांक–1 पर स्थित 10 एम.जी.डी. क्षमता, माडल क्र. डी 27, टी.सी. 1 स्टेज, अ.क्र. आय.बी.पी. 5408 के लिये स्पेयर पार्टस की आवश्यकता हेतु स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 551 इन्दौर दिनांक 02–02–12 पर प्रभारी जलकार्य विभाग की राय क्र.76 दिनांक 08–02–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र एवं संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 43,87,369/– की प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 381–82 दिनांक 22.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर